

प्रेषक,

अवध नारायण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
30प्र0, लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2

लखनऊ:: दिनांक: 16 अक्टूबर, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 के "अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 147.81 लाख के सापेक्ष रू0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-201/सेरी0/तक0/सी0एस0एस0(राज्यांश)/2020-21, दिनांक 29 जुलाई, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107—रेशम उत्पादन उद्योग-14-केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना (राज्यांश)-42-अन्य व्यय" में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 147.81 लाख के सापेक्ष रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व सक्षम स्तर से ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (2) नियंत्रक अधिकारी द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है तो व्यय की जाने वाली धनराशि को सम्बन्धित जनपद के आहरण वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।
- (3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राईटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
- (5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो अवशेष धनराशि शासन को विलम्बतम 25 मार्च, 2021 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाय।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।
- (7) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यों हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।
- (8) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 में लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाय।
- (9) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत की गयी धनराशि के फेजिंग कार्य की प्रगति एवं अवसर के अनुसार किया जाय, जहाँ तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल स्वीकृत धनराशि के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि का व्यय न किया जाय।
- (10) स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24-03-2020 तथा दिनांक 07-04-2020, 18-05-2020, में दी शर्तों/नियमों एवं दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (11) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सकें। यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईंधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को इस प्रकार नियोजित किया जाय, जिससे यथा संभव आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय को पूरा किया जा सकें और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाय।
- (12) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
- (13) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
- (14) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं पूर्ण दायित्व निदेशक, रेशम का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(15) कोविड-19 के कारण प्रदेश में लाकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-04-2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(16) लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107—रेशम उत्पादन उद्योग-14-केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना (राज्यांश)-42-अन्य व्यय" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवध नारायण)

संयुक्त सचिव।

संख्या-15/2020/320(1)/74-2-2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, 30प्र0, प्रयागराज।
- (2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (3) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 30प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
- (5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
- (6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
- (7) समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश शासन।
- (8) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।